

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
 पीठासीन अधिकारी :::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)
 मिसल नं. :::: 54/2021
 सरकार बनाम विजयसिंह पुत्र छाजूराम,
 जाति-जाट, निवासी- बास गोकल

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 20.07.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल विजयसिंह पुत्र छाजूराम, जाति-जाट, निवासी- बास गोकल द्वारा रोही मौजा बास गोकल की राजकीय भूमि ख.नं. 131 के कुल रकबा 15.79 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.02 है० भूमि पर टीन शैड, पक्के मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश कर समय चाहा एवं मकान की नपती की मांग की। गैर सायल को युक्तियुक्त समय एवं सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उसने अपने दावे के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया जिससे उसका कब्जा विधिक साबित होता हो। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132/2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।
 निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० रा० 4 के वृत्त सं. 07
 वर्ष 2021 में रूपय 6/- का
 राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
 नायब तहसीलदार, सूरजगढ़